शरत चन्द्र बोस

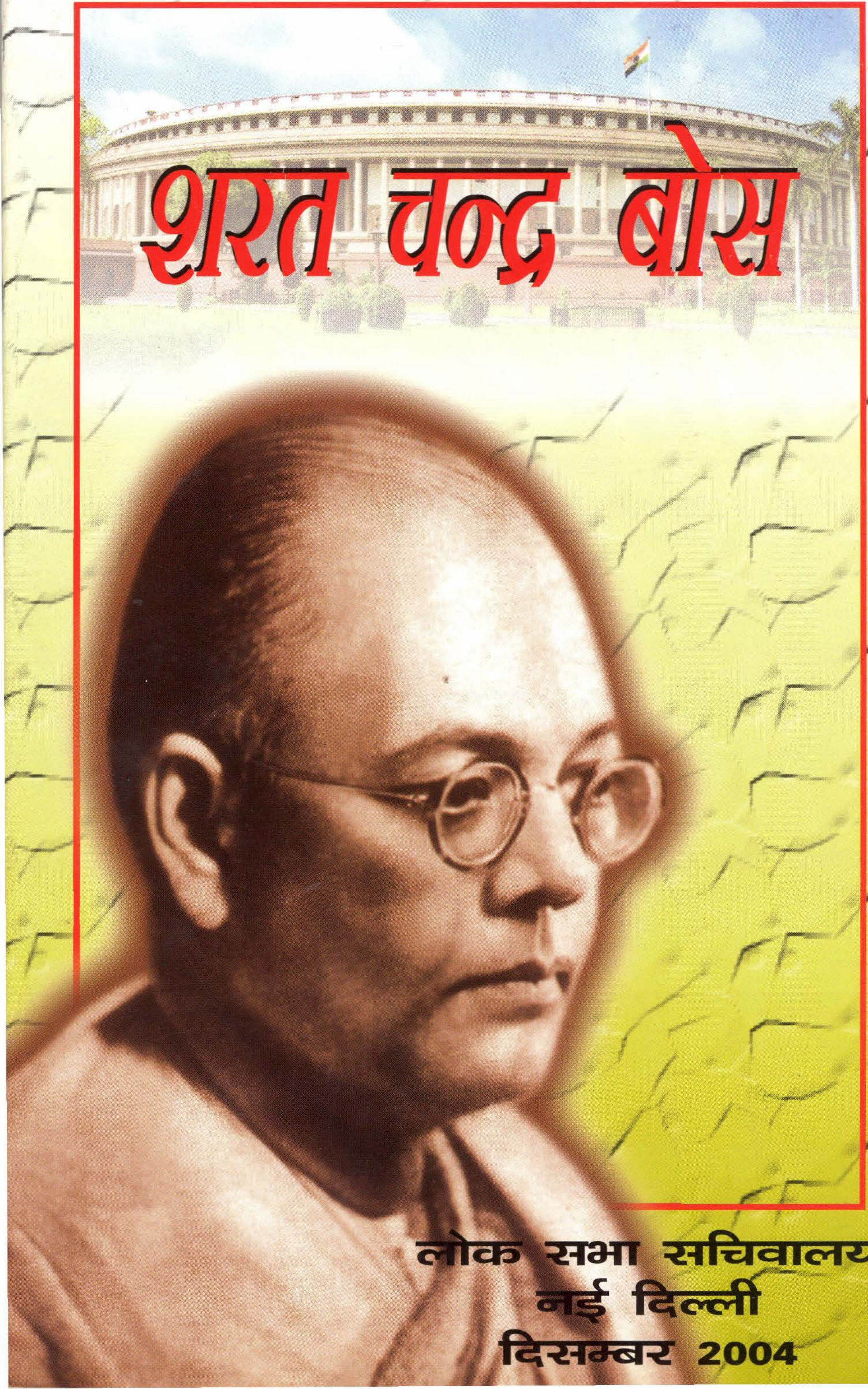

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर 2004

शरत चन्द्र बोस

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर 2004

9 (3) -लार्डिस (ईएफ)/2004

© 2004 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और एस. नारायण एण्ड संस, बी-88, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110 020 द्वारा मुद्रित।

आमुख

शरत चन्द्र बोस समकालीन भारत के उन महान सपूतों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य, 'पूर्ण स्वराज' — बिना किसी शर्त या समझौते के — और एक सुदृढ़ और जीवंत राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। प्रतिष्ठित अधिवक्ता, बहुसर्जक लेखक, ओजस्वी वक्ता और भद्रपुरुष श्री बोस की प्रभावशाली आवाज़ आज भी बंगाल और भारत के राजनीतिक क्षितिज में गूंजती है। वह न केवल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अग्रज थे अपितु उनके मित्र, सबसे बड़े प्रेरक और मार्गदर्शक थे जिनका नेताजी की क्रियाकलापों में अत्यधिक योगदान था।

यह कृतज्ञ राष्ट्र 3 दिसम्बर 2004 को शरत चन्द्र बोस की स्मृति में सम्मान व्यक्त कर रहा है जब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री भैरों सिंह शेखावत संसद भवन में उनके चित्र का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय यह पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है जिसमें शरत चन्द्र बोस का जीवनवृत्त और उनके कुछ चुनिंदा फोटो दिए गए हैं। यह जीवनवृत्त श्री शरत चन्द्र बोस के जीवन काल से सम्बद्ध प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है।

हम माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने इस समारोह के आयोजन में प्रेरक मार्गदर्शन किया। हम श्री शरत चन्द्र बोस का चित्र भेंट करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के आभारी हैं। यह चित्र श्री शुभ प्रसन्न द्वारा बनाया गया है। हम नेताजी शोध ब्यूरो की सभापति श्रीमती कृष्णा बोस को भी श्री शरत चन्द्र बोस पर महत्वपूर्ण साहित्य प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

यह प्रकाशन निर्भीक नेता शरत चन्द्र बोस की स्मृति में एक विनम्र श्रद्धांजलि है। हमें आशा है कि यह पुस्तिका सभी के लिए उपयोगी और ज्ञानप्रद सिद्ध होगी।

नई दिल्ली
3 दिसम्बर 2004

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

विषय सूची

आमुख .... (i)

शरत चन्द्र बोस—जीवनवृत्त

प्रारंभिक जीवन 1

प्रतिष्ठित अधिवक्ता 2

राजनीति में प्रवेश 3

अंतरिम सरकार का हिस्सा 6

भारत विभाजन पर 6

नेताजी के क्रियाकलापों के सहभागी 8

क्षेत्रीय सहयोग पर 10

गरीबों के मित्र 10

युवा शक्ति पर 11

अन्य आयाम 12

निधन और श्रद्धांजलि 13

चित्रात्मक झांकी 15

शरत चन्द्र बोस

-जीवनवृत-

यशस्वी दूरदृष्टा, दृढ़ निश्चयी, पंथनिरपेक्षवाद के सिद्धांतों में आस्था रखने वाले तथा जनसाधारण के हित के लिए समर्पित कार्यकर्त्ता, शरत चन्द्र बोस भारत मां के महान सपूत थे। एक बहुआयामी व्यक्तित्व — समर्पित स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता, बहुसर्जक लेखक, प्रतिष्ठित अधिवक्ता, बोस ने जीवन पर्यन्त स्वतंत्र भारत के लिए अनवरत संघर्ष किया। शरत बोस एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत करके समतावादी समाज की स्थापना करने और एक ऐसे युग के सूत्रपात के लिए संघर्ष किया जहां सभी वर्गों के लोगों को जाति, पंथ, धर्म, वर्ण और लिंग भेद के प्रति निरपेक्ष रहते हुए समान दर्जा प्राप्त हो। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की गाथा है। हालांकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लम्बे इतिहास में प्रमुख स्थान प्राप्त है किन्तु पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति में शरत बोस ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः, शरत बोस ने दोहरी भूमिका निभाई — पहली स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और दूसरी अपने प्रिय छोटे भाई सुभाष बोस को संपूर्ण सहायता प्रदान करना।

प्रारंभिक जीवन

शरत चन्द्र बोस का जन्म 6 सितम्बर 1889 को पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना में कोडलिया ग्राम में हुआ। वह जानकीनाथ और प्रभावती बोस की चौथी सन्तान और दूसरे पुत्र थे। वह एक प्रतिष्ठित और अभिजात कायस्थ परिवार से थे। उनके पिता, जानकीनाथ बोस कटक (उड़ीसा) में एक प्रसिद्ध वकील थे। बोस के पूर्वज अपनी प्रतिभा, दूरदृष्टि और कार्यकुशलता के लिए विख्यात थे और उन्हें उस समय के राजदरबार से मान्यता प्राप्त थी।

मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने और साढे बारह वर्ष की आयु में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बोस ने 1902 में रेवनशॉ कालेज, कटक (उड़ीसा) में दाखिला लिया। एफ.ए. (इंटरमीडिएट) पास करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कालेज में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1909 में उसी संस्थान से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष उनका विवाह पतलडांगा के अक्षय कुमार डे और सुबाला डे की पुत्री विभावती से हुआ। वह सुख-दुख में जीवनपर्यन्त उनकी संगिनी रही।

शरत ने छात्रावस्था के प्रारंभिक वर्षों में 1905 में लार्ड कर्जन की बंगाल विभाजन योजना के विरुद्ध आंदोलन के बीच राष्ट्रीय और देशभक्ति के कार्यकलापों में पदार्पण किया तथा उन्हें अश्विनी कुमार दत्त और उनके समकालीन नेताओं की पीढ़ी से प्रेरणा मिली। युवावस्था में वह अपने साथियों के साथ सड़कों पर घूमते हुए गीत गाया करते थे जिनमें से कुछ गीत वह बाद में भी गुनगुनाया करते थे:

"आओ चलें युद्ध भूमि में, जीवन का संग्राम लड़ें
हृदय शक्ति से भर देने को, जहां बजेगी रणभेरी,
पददलितों को मातृभूमि अब बहुत जरुरत है तेरी
विश्व नियंता आकर हममें शक्ति का संचार करें।"

मात्र 18 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर आकृष्ट हुए। उन्हें गांधी से पूर्व कांग्रेस के नरम और गरम दल के नेतृत्व तथा प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व बंगाल और भारत के अन्य भागों में भड़के उग्र क्रांतिकारी आंदोलन को देखने का अवसर मिला।

प्रतिष्ठित अधिवक्ता

शरत बोस ने 1910 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एल. की उपाधि प्राप्त की तथा कटक में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया जहां उन्होंने 1911-12 में विधि प्रशिक्षु के रूप में कार्य करना आरंभ किया। उनके वकालत के प्रारंभिक दिन बहुत प्रभावशाली थे। इसका एक उदाहरण यह है कि उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध वसीयत का मुकदमा लड़ा और अंग्रेज न्यायाधीश शरत से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने शरत को इग्लैंड जाकर वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने लिंकन्स इन में विधि का अध्ययन किया तथा 1914 में इग्लैंड से वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट बार में नामांकन कराया तथा एक विख्यात बैरिस्टर, सर नृपेन्द्र नाथ सरकार जो उनके परामर्शदाता और मित्र बन गए, के चैम्बर में कार्य करना शुरू किया।

शरत ने अपने विधिक कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की तथा अपने पिता का अनुसरण किया, जिन्हें जिरह में महारत हासिल थी। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड में कई बार अपना ध्यान केन्द्रित न कर पाने की शिकायत की थी किंतु वयस्क के रूप में ध्यान केंद्रित करना, अनुशासन, बुद्धिमत्ता और तीव्र स्मरणशक्ति जैसे उत्कृष्ट गुणों के कारण

उनकी प्रैक्टिस और ख्याति बढ़ी। उनके एक कनिष्ठ साथी, पी.बी. मुखर्जी ने बाद में उनके बारे में लिखा कि ''.... उनके लिए कार्य करना भी जीवन की अभिव्यक्ति थी न कि मात्र आजीविका कमाने का एक साधन।'' उन्होंने कभी भी वित्तीय सफलता की आकांक्षा नहीं की और वह निर्धन को भी खाली हाथ नही लौटाते थे। उन्होंने दीवानी और फौजदारी दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया और उनकी वकालत खूब चलती थी। वह महत्वाकांक्षी, पूर्णतावादी और तर्क वितर्क करने में निपुण थे। किंतु वह लालची नहीं थे और वह बार के नियमों और परम्पराओं के अनुसार कार्य करना जानते थे। उनके कनिष्ठ साथी बताते हैं कि वह स्वाग्रही किंतु नि:स्वार्थ, खुशदिल और सच्चे मित्र थे किंतु अपनी उपहासपूर्ण और व्यंग्यात्मक शैली के कारण वह प्रत्येक प्रतिद्वंदी को प्रिय नहीं थे। लंदन में बार की परीक्षा में बैठने वाले अनिश्चित युवा से उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय बार में भारतीयों के एक प्रतापी और सक्षम नेता 'बोस-साहिब' के रूप में प्रसिद्धि का सफर तय किया।

राजनीति में प्रवेश

बीसवीं सदी के प्रारंभ के उथल-पुथल भरे दिनों में बड़े होने और युवावस्था में देशभक्ति से ओत-प्रोत शरत बोस उस नए नेतृत्व से बहुत अधिक प्रभावित थे जो अखिल भारतीय स्तर पर गाँधी जी के नेतृत्व में और बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में उभर रहा था। 1918 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।

उन्होंने पांच सुविख्यात नामों से जाने जाने वाले डा० विधान चन्द्र रॉय, नलिनी रंजन सरकार, निर्मल चन्द्र चन्दर और तुलसी चरण गोस्वामी के निकट सहयोग में कार्य किया। निस्संदेह ये ''बड़े पाँच'' कांग्रेस राजनीति और कलकत्ता कार्पोरेशन के कार्यकलापों पर कई वर्षों तक हावी रहे। देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोग से वह फारवर्ड पब्लिशिंग लि० के प्रबंध निदेशक बने। यहीं से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''फारवर्ड'' प्रकाशित होता था। यह स्वराज पार्टी का कार्यालयी मुखपत्र था और मोती लाल नेहरू,देशबंधु चित्तरंजन दास, प्रभुदयाल हिमतसंघका और तुलसी चरण गोस्वामी जैसे निदेशकों में शरत चन्द्र बोस भी थे। अप्रैल 1924 में वह कलकत्ता कार्पोरेशन के एल्डरमैन बने और इस पद पर 1932 तक रहे।

इन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के आह्वाहन पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। प्रैक्टिस छोड़ने के अपने निर्णय के बारे में अपने पिता को बताते हुए उन्होंने लिखा:

> "....मैं समझता हूँ कि यह अत्यावश्यक है कि हममें से कुछ लोगों को अगले चार माह अपना पूरा समय कांग्रेस के कार्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए।"

> "....बंगाल के उज्ज्वल नाम के लिए जो विगत में संघर्ष के लिए अग्रणी रहा है, यह जरूरी है कि हम लोग यह लघु त्याग करें।"

ऐसे लेख बंगाल और भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का वह मोड़ था जब पूरे बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की बड़े स्तर पर की गई गिरफ्तारी के कारण पूर्णकालिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की कमी हो जाने से असहयोग आंदोलन धीमा पड़ रहा था। शरत बोस ने प्रखर नेतृत्व प्रदान किया। उनकी पत्नी विभावती भी खद्दर कातने और 'प्रतिबंधित नमक' घर-घर बेचने में सक्रिय थीं। वह महिलाओं को संगठित कर रही थीं और अपने निवास पर महिलाओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए बैठकें आयोजित कर रही थीं।

यद्यपि उनका अहिंसा में पक्का विश्वास था तथापि, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे क्रांतिकारियों के प्रति उन्हें सहानुभूति थी। उन्होंने चित्तगांग आर्मरी रेड मामले में अभियुक्तों की तरफ से बचाव पक्ष के वकील के रूप में अपनी मुफ्त सेवा प्रदान की। चित्तगांग आर्मरी रेड के एक सदस्य अनन्त सिंह, जिनका बचाव उन्होंने मुकदमें में किया, ने अपने संस्मरण में लिखा, "वह (शरत बोस) क्रांतिकारियों के मित्र थे और महान क्रांतिकारी थे।"

शरत बोस को क्रांतिकारी सदस्यों के प्रति सहानुभूति रखने के कारण 1 फरवरी 1932 को गिरफ्तार किया गया और 1818 के विनियम -तीन के तहत स्योनी जेल भेज दिया गया। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश सरकार को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण लोगों को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रखने का प्रावधान था। इस समय नेताजी भी पहले से ही उसी जेल में थे। बाद में, दोनों भाइयों को जबलपुर जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। शरत के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें गिधापहाड़, कुरसियोंग में नजरबंद रखा गया। अपनी जेल अवधि के दौरान, उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए अनवरत संघर्ष किया। नजरबंदी के आधार

और शर्तों के संबंध में शरत बोस और गवर्नर जनरल और भारत सरकार के गृह विभाग के बीच काफी पत्राचार हुआ। यद्यपि सरकार उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देने के लिए उन्हें विचारण के लिए लाने और अधिकरण के सामने बुलाने से इनकार कर देती थी, किंतु सरकार के प्रवक्ता ने सेन्ट्रल असेम्बली में 'आतंकवादी आंदोलन में उनके सक्रिय रूप से जुड़े रहने' का भारी आरोप लगाया था। शरत बोस जैसा प्रतिष्ठित नेता, जो बंगाली संस्कृति, प्रतिभा और विवेक की सर्वोत्तम परंपराओं के सभ्य मानकों के पोषक और वाहक थे, ऐसी कायरतापूर्ण कारगुजारियों के समर्थक नहीं हो सकते थे। ब्रिटिश सरकार को कड़े शब्दों में लिखे गए एक पत्र में उन्होंने लिखा:

> "....निस्संदेह, आपकी सरकार के सामने भावी दायित्वों से मुक्त होने का विकल्प खुला है....इस देश के स्थापित न्यायालयों के समक्ष मुझ पर मुकदमा चलाकर और मुझे साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराकर... वास्तव में, मैं ऐसा कार्य करने का स्वागत करता हूँ। यह मुझे कानूनी व्यवसाय में और निजी एवं सार्वजनिक जीवन में मेरे चरित्र और मेरी स्थिति को सिद्ध करने में समर्थ बनाएगा और साथ ही सी.आई.डी. की झूठी, मनगढंत और गुप्त रिपोर्टों को तथा उस गुप्तचरों, मुखबिरों के समूह और अन्य लोगों के घृणित गठजोड़ को भी निस्संकोच बेनकाब करने में समर्थ बनाएगा।"

हठधर्मी ब्रिटिश प्रशासन ने न तो उनके पत्रों का उत्तर दिया और न न्यायालयों में उन पर मुकदमा ही चलाया।

बंगाल और देश के अन्य भागों में कांग्रेसियों के एक बड़े वर्ग के बीच साम्प्रदायिक एवार्ड से असंतोष पैदा हो गया। इसकी परिणति मदन मोहन मालवीय की पहल पर नेशनलिस्ट पार्टी के गठन के रूप में हुई। नेशनलिस्ट पार्टी के शरत बोस और अन्य सदस्य 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए निर्वाचित किए गए।

सभा में सतत् माँग किए जाने और केन्द्रीय विधान सभा में उनकी गिरफ्तारी की निंदा किए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद भी प्रशासन उनको रिहा नहीं करना चाहता था। किंतु, उन्हें 26 जुलाई 1935 को जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया।

1937 में हुए चुनावों में, कांग्रेस बंगाल विधान सभा में सबसे बड़ा दल बन गया और शरत बोस को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। 1938 में जब सुभाष चन्द्र बोस

कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वह कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हुए। उन्होंने 1939 में कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के साथ मतभेद होने के कारण नेताजी के साथ कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया।

शरत को 1941 में पुन: जेल में बंद कर दिया गया और वह 1945 तक देश के विभिन्न जेलों में बंद रहे। जेल से उनकी रिहाई के बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने बंबई की अपनी बैठक में भाग लेने हेतु सादर आमंत्रित किया। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल के लिए हुए चुनाव में वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र और अपरिहार्य नेता के रूप में उभरे। वह 1946 में केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए और विपक्ष के नेता बने। उन्हें जुलाई 1946 में संविधान सभा का सदस्य भी चुना गया।

अंतरिम सरकार का हिस्सा

जब कांग्रेस हाई कमान ने अंतरिम सरकार के गठन का निर्णय लिया, शरत बोस देश के केन्द्रीय विधानमंडल में विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। उन्हें सरकार के गठन में शीर्ष भूमिका निभाने के लिए न तो आमंत्रित किया गया और न सरकार बनाने के लिए ही उनसे कहा गया जो कि सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया होती। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि ब्रिटिश वायसराय वेवैल ने अंत तक कैबिनेट में उनके शामिल किए जाने का विरोध किया। पंडित नेहरू द्वारा विपक्ष के नेता को शामिल करने की मर्यादा निभाने के लिए जोर दिए जाने पर उन्होंने निर्माण कार्य, खान और विद्युत विभाग के मंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। प्रशासनिक मामलों की विस्तृत जांच के प्रति उनके ध्यान और सामान्य सूझ-बूझ का उनके सभी कर्मचारियों ने विशेष तौर पर स्वागत नहीं किया। वह अंतरिम सरकार के सदस्य दो माह से भी कम समय तक रह पाए। अपने अल्प कार्यकाल के दौरान भी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने उन्हें उद्वेलित कर दिया। ऐसी भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के उनके प्रयासों से कुछ उच्च सरकारी हलकों में वे अलोकप्रिय हो गए। कांग्रेस कार्यसमिति के साथ मतभेद होने के कारण उन्हें अंतरिम सरकार से और बाद में कांग्रेस पार्टी से भी त्यागपत्र देना पड़ा।

भारत विभाजन पर

शरत चन्द्र बोस भारत के किसी भी भाग के विभाजन, चाहे पंजाब हो या बंगाल हो या भारत और पाकिस्तान का दो प्रांतों में विभाजन हो, के घोर विरोधियों में से एक थे। जब

कांग्रेस कार्य समिति ने पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, शरत बोस ने इसका प्रखर विरोध किया। उन्हें ये स्वीकार्य नहीं था कि धर्म ऐसे विभाजन का एकमात्र आधार हो। इस संदर्भ में, 15 मार्च 1947 को कलकत्ता में प्रेस को जारी किए गए एक बयान में उन्होंने कहा:

> ''मेरे विचार से धार्मिक आधार पर प्रांतों का विभाजन साम्प्रदायिक समस्या का समाधान नहीं है। इस प्रकार से प्रांतों का विभाजन करने पर भी उन प्रांतों में हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के पास रहेंगे और साम्प्रदायिक संघर्ष का खतरा बना रहेगा। मान लिया जाए कि हमने धर्म के आधार पर बंगाल और पंजाब का विभाजन कर दिया, तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुसलमानों और पूर्वी बंगाल में रहने वाले हिन्दुओं या पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमानों और पश्चिमी पंजाब में रहने वाले हिन्दुओं और सिखों का क्या होगा ? भारत के अन्य प्रांतों में अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के साथ फिर क्या होगा ? क्या हम सारे देश में हिन्दू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और अन्य धार्मिक राज्य या क्षेत्र बनाने जा रहे हैं......''।

उनका मत था कि ऐसे धार्मिक राज्य या क्षेत्रों के सृजन से सशस्त्र साम्प्रदायिक संघर्षों और तनाव का खतरा पैदा हो जायेगा। उन्होंने आगे कहा:

> ''इससे साम्प्रदायिक समस्या और बढ़ जाएगी और इसका समाधान यदि असंभव नहीं, तो अत्यधिक कठिन हो जाएगा। चूंकि भारत की जनसंख्या पूरे देश में मिश्रित स्वरूप की है, इसलिए इस प्रकार का साम्प्रदायिक पार्थक्य या धार्मिक संगरोध न तो वांछनीय है और न व्यवहार्य ही है। हमें ऐसा समाधान खोजना है जो पूरे देश पर लागू हो। साम्प्रदायिक समस्या का समाधान अन्ततः सामाजिक न्याय में निहित है और जहां तक हमारे सामूहिक जीवन का संबंध है, वह राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं और जीवन के हितों पर जोर देने में तथा राजनीति और अर्थशास्त्र से धर्म के अलग करने में निहित है। चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान, सिख या ईसाई हों, हमारी राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ तथा हित सभी के लिए समान हैं। इसीलिए, समाजवाद और इसके सभी साधनों में इस जटिल साम्प्रदायिक समस्या का समाधान निहित है। धार्मिक आधार पर देश या प्रांतों के किसी भी विभाजन से सौहार्द पैदा करने में हमे मदद नहीं मिलेगी, उस एकता की बात दूर रही जिस पर कांग्रेस अब तक डटी रही है। समाधान हेतु जल्दबाजी में किए गए ऐसे कार्य से भ्रम पैदा होगा और विनाश होगा।''

वह बंगाल विभाजन पर उन दिनों देश में हुए घटनाक्रम से अत्यधिक दुखी हो गए। उन्होंने सीमा पार के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के नाम पर प्रतिहिंसा भड़काने वाले लोगों के हाथ का खिलौना न बनने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने उन लोगों को समाज का छिपा हुआ वास्तविक शत्रु बताया।

11 फरवरी 1950 को प्रेस को दिए गए अपने बयान में उन्होंने अपील की:

> "पूर्व और पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयो, मैं आपसे पवित्रता का, बंगाल के इतिहास का, भूत और भविष्य के कामरेडशिप का, मानवता के नाम पर हिंसा के पथ का शपथ-पूर्वक त्याग करने, संयम और विवेक को पुन: स्थापित करने तथा साम्प्रदायिक शांति और सौहार्द पुन: स्थापित करने की अपील करता हूँ। आप दिल्ली या कराची की ओर न देखें, प्रकाश वहां से नहीं आएगा। अपने भीतर के प्रकाश से अपना पथप्रदर्शन करें।"

इस समस्या के लिए उन्होंने समाधान का यह प्रस्ताव किया कि भारत और पाकिस्तान के लोग पूर्वी बंगाल को अलग और विशिष्ट राज्य स्वीकार करें। पूर्वी बंगाल को भारत संघ में शामिल होना चाहिए और भारत तथा पाकिस्तान के लोगों को अपनी-अपनी सरकारों पर पूर्वी बंगाल को यथासंभव शीघ्र अपने में शामिल करने के लिए दबाव डालना चाहिए। शरत बोस ने अविभाजित बंगाल या विभाजित बंगाल में हिन्दु और मुसलमान के बीच अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उनके लिए दोनों बंगालों की जनसंख्या पहले की तरह ही मिश्रित स्वरूप की थी।

नेताजी के क्रियाकलापों के सहभागी

शरत चन्द्र बोस का अपने छोटे भाई सुभाष चन्द्र बोस से असाधारण संबंध था। सुभाष बोस ने बचपन से ही अपने भाई शरत में ऐसा व्यक्ति पाया जिसके साथ वह विचारों का आदान-प्रदान कर सके और उनसे प्रेरणा ले सके। जब भी सुभाष बोस ने अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहा; शरत बोस उन्हें सहयोग करने के लिए सहज ही उपलब्ध रहते थे। वास्तव में,इंग्लैंड में पढ़ने के दौरान शरत बोस ने नेताजी के कार्यों में, जब वह (सुभाष) केवल पन्द्रह वर्ष के थे, पत्र-व्यवहार द्वारा उनके मानसिक और बौद्धिक विकास को आकार देकर और प्रभावित कर महत्वपूर्ण योगदान किया।

शरत बोस तथा उनके पिता चाहते थे कि सुभाष बोस 1919 में इंडियन सिविल सर्विस (आई.सी.एस.) परीक्षा में भाग लेने के लिए इंग्लैण्ड जाएं और फिर जब सुभाष बोस ने आई.सी.एस. से त्यागपत्र दिया तो पुन: शरत बोस ही थे जिनकी सहमति, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक समर्थन उन्होंने चाहा। नेताजी ने अपने भाई को लिखा था, "मैं समझ सकता हूँ कि इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए मुझे जितनी इच्छाशक्ति चाहिए उससे कहीं अधिक आपको इस प्रस्ताव से सहमत होने में चाहिए....."।

एक अन्य पत्र में नेताजी ने लिखा है:

> "आपके पत्रों में व्यक्त उदार भावना ने मुझे काफी प्रभावित किया है। मैं जानता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति में यह भावना अवश्य सुशोभित है और यही कह सकता हूँ कि मुझे आप पर गर्व है।"

अपने बड़े भाई में सुभाष ने जो इच्छाशक्ति तथा उदार भाव देखा था उससे दोनों भाइयों के संबंध सुदृढ़ हुए। शरत बोस उनके केवल बड़े भाई ही नहीं थे वरन् राजनीति में उनके सहभागी भी थे।

1935 में, जब विएना में नेताजी की एक बड़ी शल्य-चिकित्सा होनी थी तो आपरेशन-टेबल पर ले जाने से पूर्व जब सर्जन ने उनसे कोई संदेश देने को कहा। इस पर उन्होंने कहा: "मेरे देशवासियों को प्यार, मेरे भाई शरत के प्रति कृतज्ञता"। इन शब्दों से दोनों भाइयों के जीवनपर्यन्त संबंध की दृढ़ता तथा शरत चन्द्र बोस द्वारा नेताजी की गतिविधियों में किए गए योगदान की स्पष्ट झलक मिलती है।

युवा और उतावले सुभाष के लिए यदि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना एक उत्कट अभिलाषा और स्वप्न था, तो उम्र में उनसे बड़े और धीर-गंभीर शरत के लिए यह लक्ष्यपूर्ति की दिशा में सतत और बिना समझौते के कार्रवाई करने का प्रश्न था। जब दोनों भाई साथ खड़े हुए तो यह एक मणिकांचन संयोग बना — एक ओर उत्कट अभिलाषा और स्वप्न और दूसरी ओर अडिग सिद्धांत तथा विश्वास। अनेक बार, दोनों भाइयों में विभिन्न विषयों पर लंबी बहस और चर्चा होती। लेकिन दोनों के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं पनप पाता था क्योंकि दोनों जानते थे कि भले ही उनकी गतिविधि का क्षेत्र और तौर-तरीका अलग-अलग हो किन्तु ध्येय एक ही है। यदि किसी को क्रांतिकारी जीवन अपनाना हो तो आवश्यक है कि उसे वैसा आवश्यक समर्थन व सहायता

उपलब्ध हो जहां उसकी विचारधारा को न केवल स्वीकार तथा सहन किया जाए बल्कि उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी रखा जाए। शरत बोस तथा उनकी पत्नी के माध्यम से यह सहज संभव हो सका। अक्तूबर, 1924 में बर्मा में सुभाष बोस की गिरफ्तारी और उन्हें अन्यत्र ले जाने के पश्चात् वह भी इस ओर अधिक सक्रिय हो गई। शरत बोस और उनकी पत्नी, दोनों ही सुभाष बोस की गतिविधियों में प्रमुख प्रेरक तथा सहायक रहे। सुभाष बोस के अनेक निर्णयों और कदमों के पीछे वस्तुत: शरत बोस का काफी हाथ रहा। उदाहरणार्थ, 1926 में सुभाष बोस को उत्तरी कलकत्ता से बंगाल विधान परिषद् का प्रत्याशी बनाने में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई।

क्षेत्रीय सहयोग पर

शरत बोस का राजनैतिक दृष्टिकोण यथार्थवादी था। 1948 में उन्होंने दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन बनाने का समर्थन किया। उनका मत था कि केवल "गुट-निरपेक्षता" ही भारत की विदेशी नीति का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती। अत: उन्होंने "दक्षिण एशिया संयुक्त राष्ट्रसंघ" (यू.एन.एस.ए.) की स्थापना करने का सुझाव दिया जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर एक कस्टम यूनियन तथा संयुक्त प्रतिरक्षा गठबंधन तो हो किन्तु किसी बाह्य शक्ति या शक्तियों के साथ सदस्य देशों का कोई सैन्य गठबंधन न हो। उन्होंने भारतीय महासागार क्षेत्र के लिए अपनी तरह के एक "मुनरो सिद्धांत" को अंगीकार करने की भी बात कही। संभव है, वर्तमान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गठन शरत बोस के दक्षिण एशिया संयुक्त राष्ट्रसंघ की अवधारणा से प्रेरित हो।

गरीबों के मित्र

अपने पिता जानकीनाथ से प्रेरित होकर शरत बोस अनेक परोपकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। उनके पैतृक गांव कोडलिया में उनके पिता द्वारा स्थापित एक नि:शुल्क औषधालय चलता था। पिता की मृत्यु के पश्चात् भी शरत बोस सामाजिक कल्याण के क्रियाकलापों के लिए वित्तीय मदद करते रहे। अपने छात्र जीवन से ही वह दयालु और उदार स्वभाव के थे और जरूरतमंद व गरीब विद्यार्थियों की मुश्किलों के प्रति समवेदना रखते थे। महीने के पहले दो-तीन दिन उनके घर पर विभिन्न संकायों के छात्रों की भीड़ जुटा करती।

जेल में रहते हुए उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को एक पत्र में लिखा था:

> "मैं यह भी उल्लेख कर दूँ कि बहुत सारे गरीब विद्यार्थी अपने भरण-पोषण और शिक्षा के मासिक खर्च के लिए मुझ पर निर्भर हैं और इस मद पर मेरा 300 रु. से 400 रु. मासिक व्यय होता है। उक्त व्यय और मेरी वित्तीय सहायता पर निर्भर सार्वजनिक संस्थाओं पर होने वाले व्यय का ब्यौरा देखा जा सकता है......"।

ऐसा था उनका हृदय, जो सदैव निर्धन तथा जरूरतमंदों के लिए धड़कता रहा।

युवाशक्ति पर

शरत बोस का सदैव यही विचार रहा कि युवाओं में आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की जबरदस्त क्षमता है। इसीलिए उन्हें देश के युवा वर्ग से काफी आशा थी। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उथल-पुथल वाले समय में, वह इस बात के प्रबल समर्थक थे कि इस आंदोलन के संदेश को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाए।

शरत बोस बहुत अनुशासनप्रिय थे। स्वाभाविक ही था कि वह देश के युवा वर्ग से भी अनुशासन की उम्मीद रखते थे। उनका यह भी मत था कि अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ा सैन्य प्रशिक्षण भी आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासन का अहिंसा से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा: "दुर्बल या अनुशासनहीन व्यक्ति अहिंसाचारी नहीं हो सकता"। वह युवा वर्ग को स्वतंत्रता आंदोलन का अटूट हिस्सा मानते थे। उनका मानना था कि समाज के कल्याण के लिए वयोवृद्ध और अनुभवी वर्ग को युवा वर्ग के साहस और ऊर्जा को न्यस्त करना चाहिए। वह सदैव युवा वर्ग की आदर्शवादी विचारधारा, साहस और दुर्दम्य संकल्प के प्रशंसक रहे। युवाओं का आह्वान करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि विचारशक्ति को कार्यरूप में परिणत करने की भावना के बगैर, युवा वर्ग का अदम्य बुद्धि बल और नैतिक साहस, विश्वास और आशा की उसकी समस्त निधि, मात्र कोरा दिवास्वप्न बनकर रह जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा:

> "हमारे युवाओं को जागना होगा, दिवास्वप्न त्यागकर सक्रिय होना होगा और कार्य में ही आनंद का आस्वादन करना होगा। प्रत्येक मूर्धन्य आदर्शवादी जानता है कि आदर्श और वास्तविकता के बीच असामंजस्य इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह

बोध, कि हम अपने आदर्शों को साकार करने के लिए जुटकर और पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे हैं। मैं भारत के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वे परिश्रम का जीवन में नायकोचित गुण की भाँति स्वागत करें और सच्चे सेवक बनकर इस शब्द के महत्व और व्यापकता को चरितार्थ करें।''

अन्य आयाम

शरत बोस साहित्य, इतिहास, धर्म और राजनीति के उत्साही अध्येता थे। अध्ययन में उन्हें अतीव आनंद मिलता था और इससे उन्हें भारत के ब्रिटिश शासकों की परम्पराओं और उपलब्धियों को समझने का अवसर भी मिला। उन्हें अंग्रेजी कविताएं प्रिय थीं, उनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी तथा वह काव्य का पठन-पाठन करते रहे। अंग्रेजों की महान परम्पराओं से परिचित हो जाने के कारण उनकी भाषिक व वाचिक कुशलता उत्कृष्टतम स्तर की थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो साहित्य पढ़ाया जाता था उसमें चॉसर, मिल्टन, शेक्सपीयर, रोमांटिक कवि और विक्टोरिया काल के कवियों का कृतित्व शामिल था। टेनीसन, आर्नल्ड और थॉमस हार्डी की रचनाओं के पठन से भी उनकी विचार-प्रक्रिया समृद्ध हुई। वह बर्नार्ड शॉ, एच.जी.वेल्स, फ्रांसिस वैलमैन और वॉल्टर बैग्हॉट के भी प्रशंसक थे।

वह प्रकृति और पर्वतों के प्रेमी थे। अवकाश के समय वह अक्सर अपने परिवार के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर चले जाते। कई बार उनके माता-पिता भी उनके साथ होते। यद्यपि वह अलग-अलग पर्वतीय स्थलों पर जाना पसंद करते थे, पर दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग पर्वतीय क्षेत्र में उन्होंने एक मकान खरीदा था। उनका यह शानदार घर दार्जिलिंग को जाते राजमार्ग पर एक एकांत स्थल पर स्थित था जहां से मैदानों और नदी घाटी का सुहावना दृश्य दिखाई देता था।

वह एक उच्च कोटि के पत्रकार थे तथा ''फारवर्ड'' और ''लिबर्टी'' जैसे समाचारपत्रों से जुड़े रहे। अपने सक्रिय जीवन के अंत में उन्होंने ''नेशन'' नामक एक पत्र निकाला जिसके द्वारा वह अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करते थे। उन्होंने यूरोप और एशिया के अनेक देशों की यात्रा की।

शरत बोस अपने परिवार, अभिभावकों, पत्नी और बच्चों से बहुत प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो सभी जरूरतमंदों की हृदय से सहायता करते थे और जिनका देशप्रेम

बिल्कुल सच्चा था। सर्वोपरि, वह मानवतावादी थे। मानवतावाद के लिए उन्होंने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सीमाओं से भी ऊपर उठकर मानव के नव धर्म पर आधारित "नव-विश्ववाद" की परिकल्पना की। समर्पण भाव और प्रतिबद्धता सहित उन्होंने अपनी अंतिम साँस तक अपने उच्चादर्श—"पूर्ण स्वाधीनता"—की प्राप्ति के लिए निर्विकार भाव से अथक परिश्रम किया।

निधन और श्रद्धांजलि

शरत बोस का 61 वर्ष की आयु में 20 फरवरी, 1950 को अपना अंतिम लेख लिखने के आधे घंटे के बाद, हृदयाघात से निधन हो गया। वह उन प्रख्यात व्यक्तियों की पंक्ति में आते हैं जिन्हें राष्ट्र सदैव आदर और आभार के साथ स्मरण करेगा। उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि का ताँता लग गया। उनके विलक्षण गुणों और राष्ट्र के प्रति योगदान की प्रशंसा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा:

> "महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सभा के सम्मानित सदस्य और राष्ट्र के स्वतंत्रता-आंदोलन में अनुपम योगदान करने वाले महापुरुष का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनका कल निधन हो गया, मैं श्री शरत चन्द्र बोस के बारे में कह रहा हूँ। वह एक बड़े घराने से थे, प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे और स्वतंत्रता-आंदोलन में संगठनों में उन्हें उच्च स्थान मिला। कुछ वर्षों तक वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे। वह इस सभा के सदस्य रहे और सभा में कांग्रेस दल के नेता चुने गए। तत्पश्चात् वह 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य भी रहे। बाद में, राजनीतिक धरातल पर, वह हम कुछ जनों से विलग हो गए और हमारे कड़े आलोचक बने। तथापि, चाहे वह आलोचक रहे हों या न भी रहे हों—जो कि उनका सर्वाधिकार था, उन्होंने स्वतंत्रता-आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाई और ऐसे व्यक्ति के चले जाने का हमें दुख है। यद्यपि किसी भी समय उनके जाने का हमें दुख होता; तथापि, वर्तमान में, खासकर तब जबकि बंगाल में एक त्रासद संकट हमारे समक्ष है और जब इस संकट में किसी भी तरह के विवाद की बात—चाहे वास्तविक या काल्पनिक—नहीं होनी चाहिए; यह बड़े दुख और शोक का विषय है कि बंगाल और भारत का एक सपूत नहीं रहा है......"।

''......... महोदय, मैं चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन मुझसे सहमत होगा—कि आप इस सभा की शोक-संवेदना श्री शरत चन्द्र बोस के परिवार को प्रेषित करें।''

दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर ने कहा:

''मैं सदन के नेता के कथन से पूरी तरह सहमति व्यक्त करता हूँ। मुझे स्व० शरत चन्द्र बोस, जब वह केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता थे और अंतरिम सरकार के सदस्य थे, के निकट व्यक्तिगत संपर्क में रहने का अवसर मिला है। हम उनके निधन से दुखी हैं और हमारी संवेदना उनकी पत्नी व बच्चों के साथ हैं।''

चित्रात्मक झांकी

विवाह के शीघ्र बाद पत्नी विभावती के साथ (1909)

इंग्लैंड में विधि छात्र के रूप में (1913)

शरत बोस अपने माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ

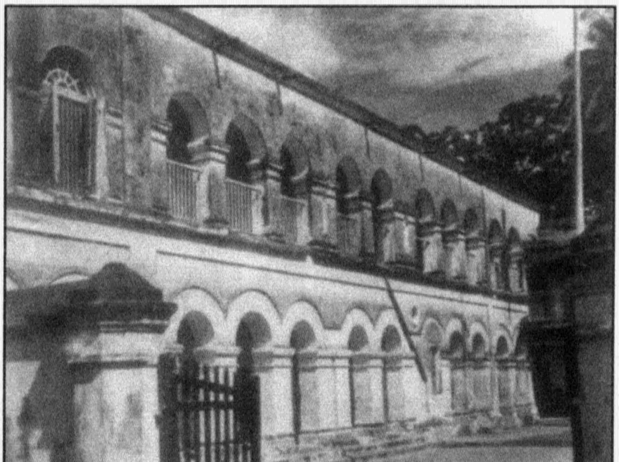

उड़िया बाजार, कटक (उड़ीसा) स्थित "बोस हाउस"

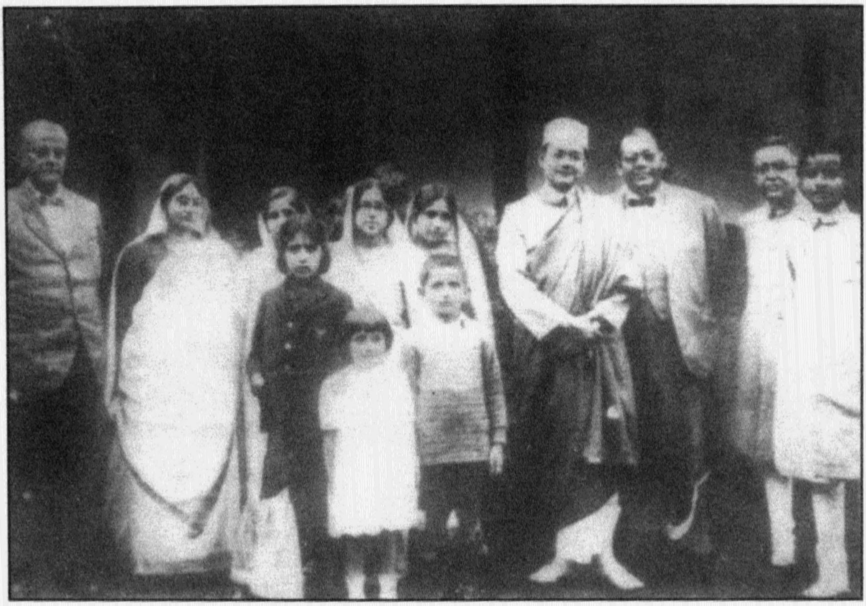

शरत चन्द्र बोस सुभाष चन्द्र बोस सहित अपने परिवार के साथ

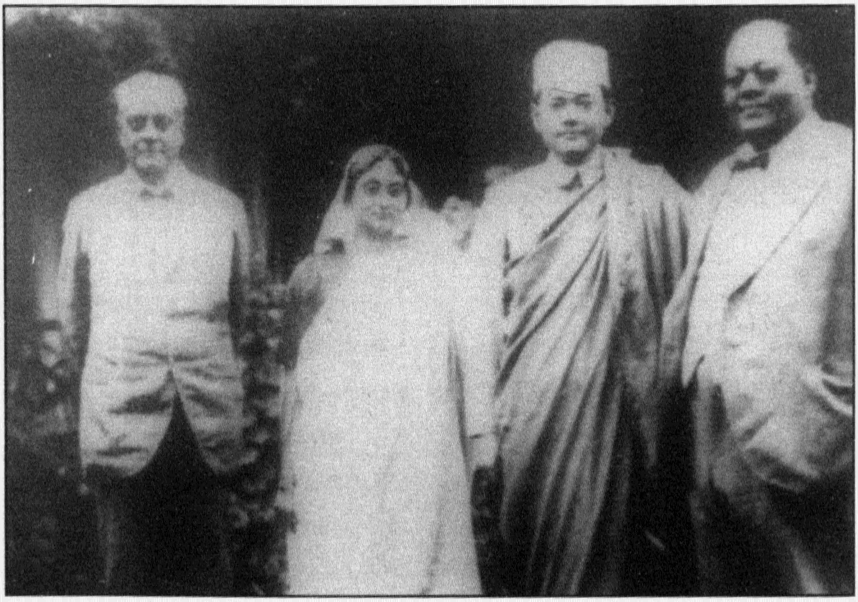

जानकीनाथ (पिता), विभावती (पत्नी), सुभाष और शरत बोस

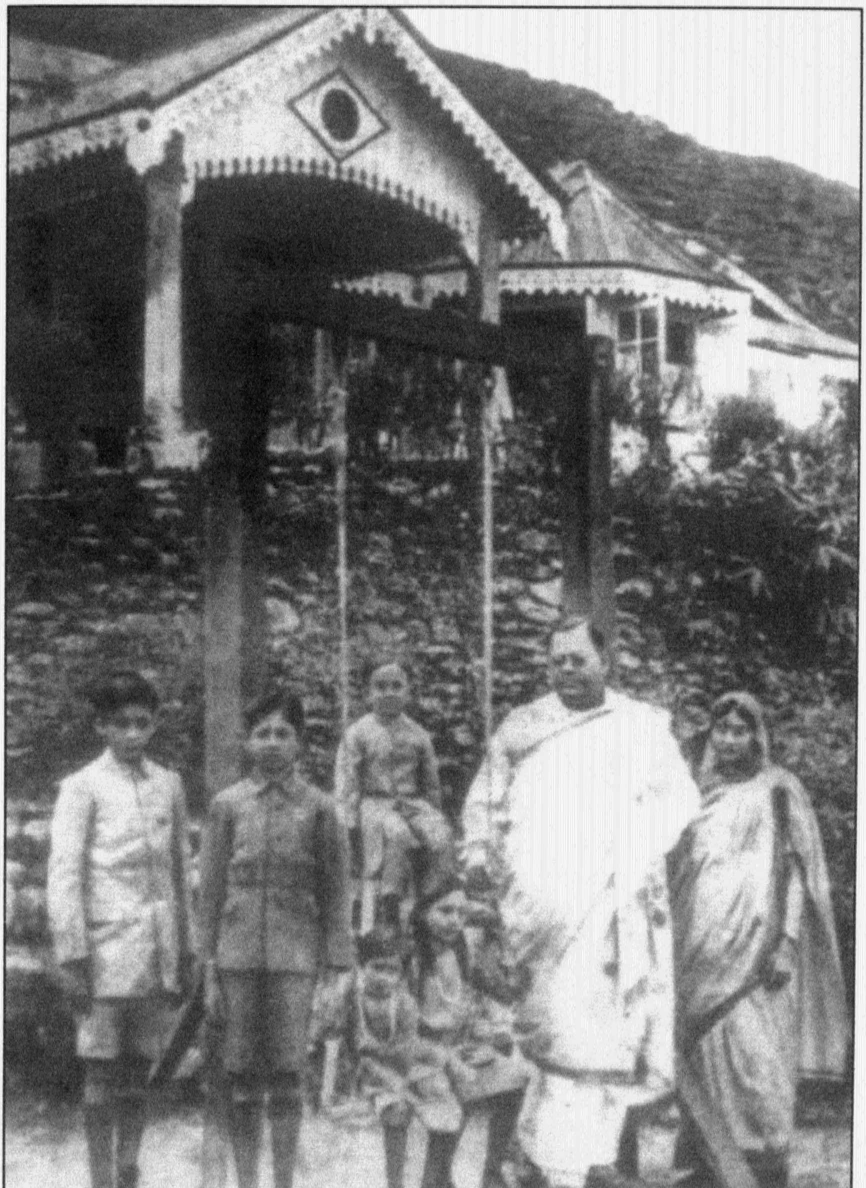

शरत बोस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गिद्धपहाड़, कुर्सियांग, दार्जिलिंग (1926) में

शरत बोस अपनी पत्नी विभावती के साथ स्विटजरलैंड में (1948)

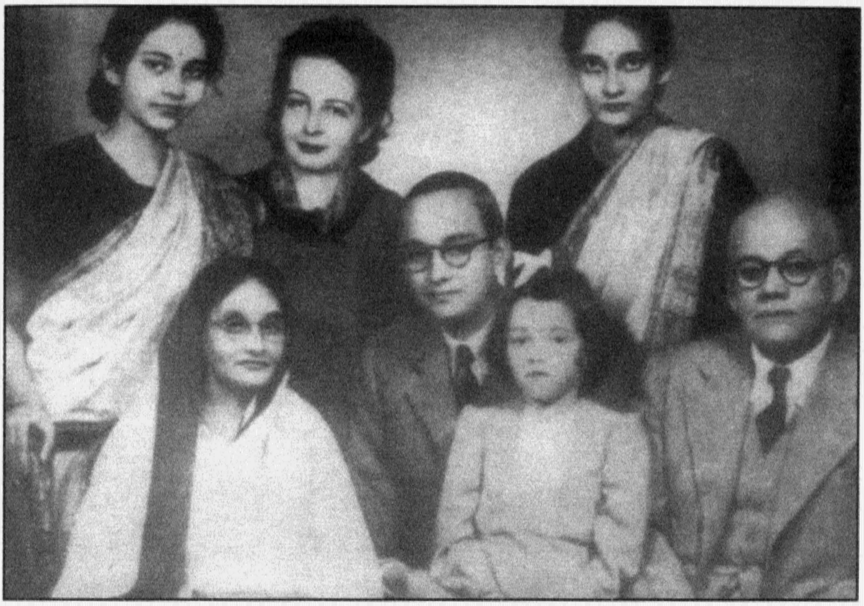
सुभाष चन्द्र बोस की विधवा (एमिली-बाएं से दूसरी-खड़ी हुई) और पुत्री (अनीता) के साथ परिवार की सामूहिक फोटो

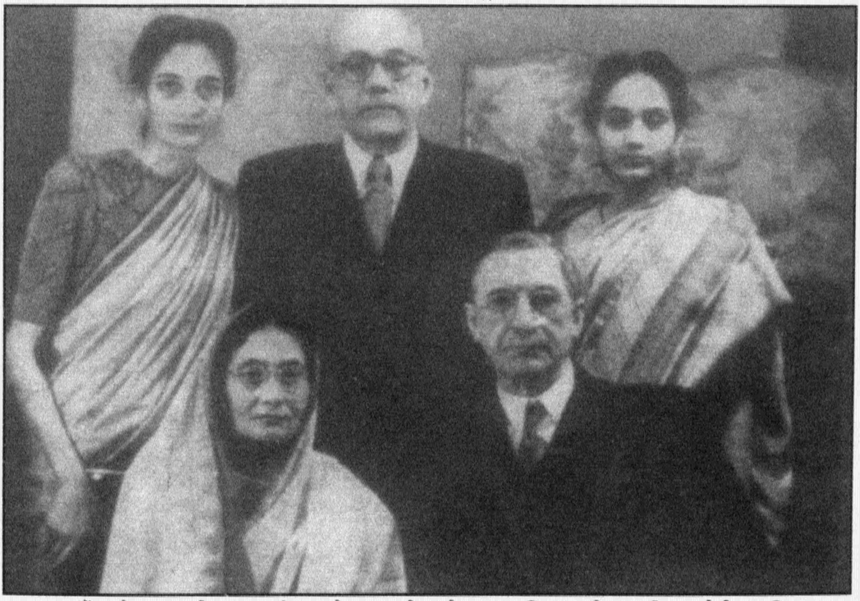
आयरलैंड के तत्कालीन राष्ट्रपति, एमोन द वलेरा के साथ परिवार की सामूहिक फोटो (डब्लिन) (1948)

शरत बोस पुत्र शिशिर बोस के साथ इटली में, 1948

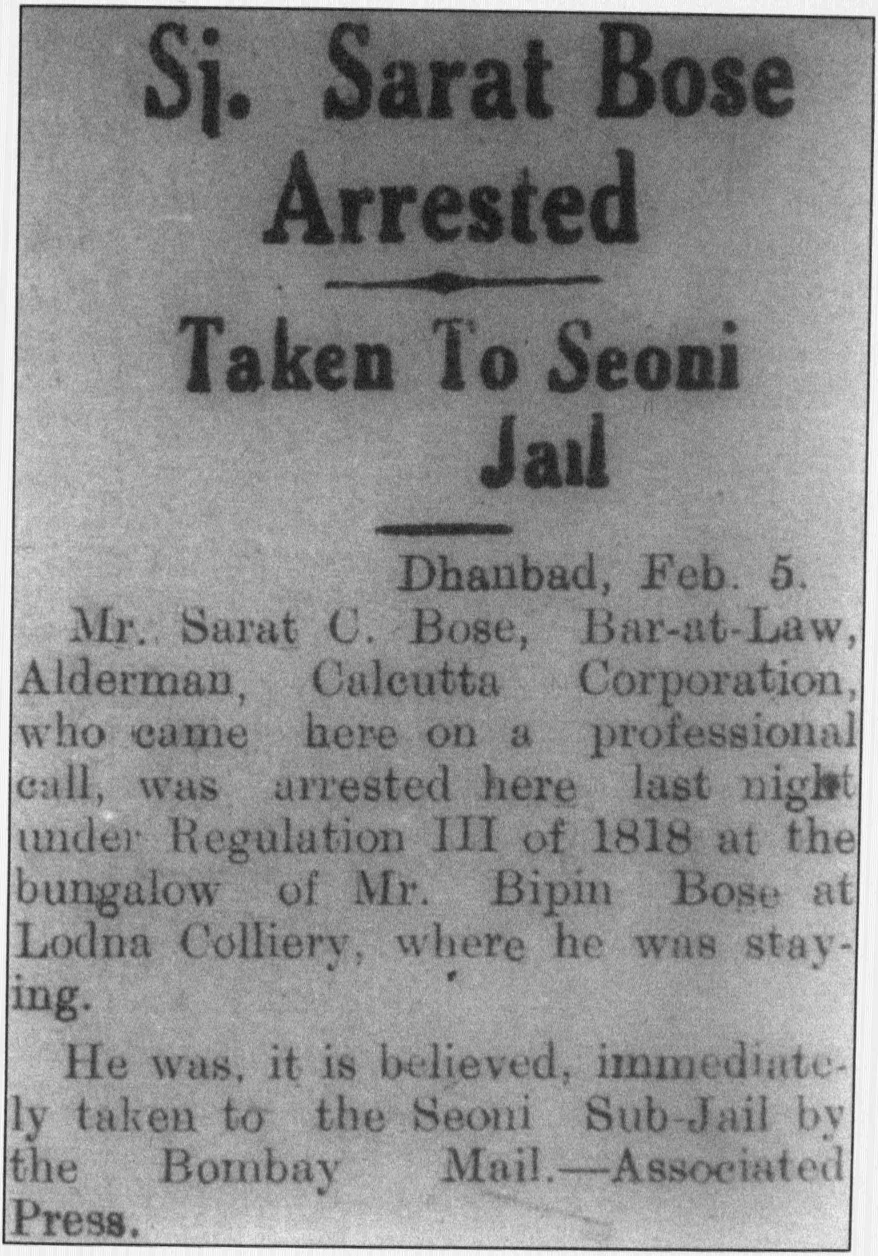

Sj. Sarat Bose Arrested

Taken To Seoni Jail

Dhanbad, Feb. 5.

Mr. Sarat C. Bose, Bar-at-Law, Alderman, Calcutta Corporation, who came here on a professional call, was arrested here last night under Regulation III of 1818 at the bungalow of Mr. Bipin Bose at Lodna Colliery, where he was staying.

He was, it is believed, immediately taken to the Seoni Sub-Jail by the Bombay Mail.—Associated Press.

शरत बोस की गिरफ्तारी दर्शाने वाली समाचार पत्र कतरन (1932)

चुनाव प्रचार के दौरान जवाहरलाल नेहरू के साथ (1937)

बोस बन्धु – शरत और सुभाष

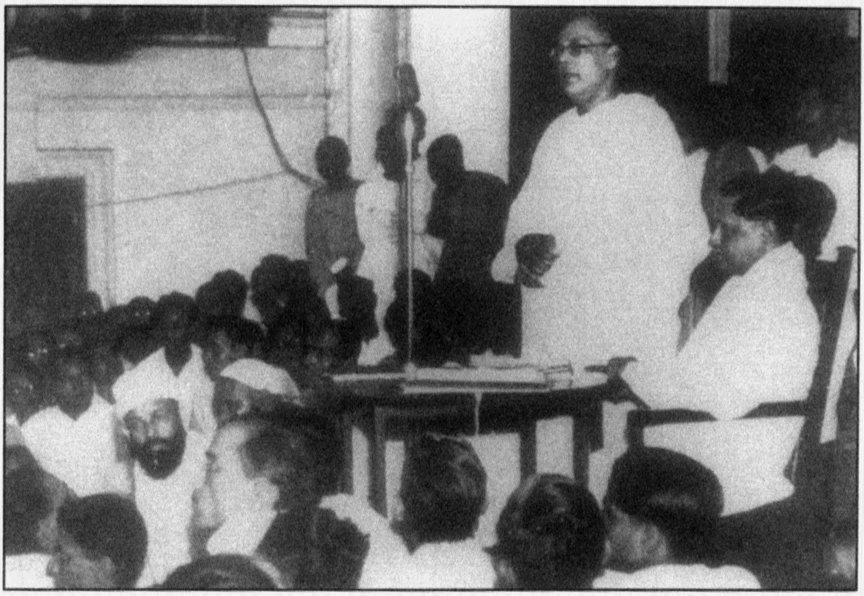

जनसभा को संबोधित करते हुए उनके बाएं हैं - बंगाल कांग्रेस के नेता, तुलसी सी. गोस्वामी (1938)

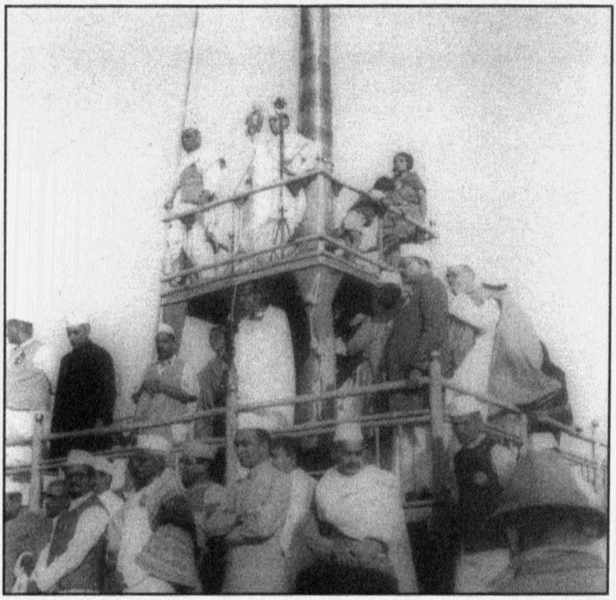

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर (1938)

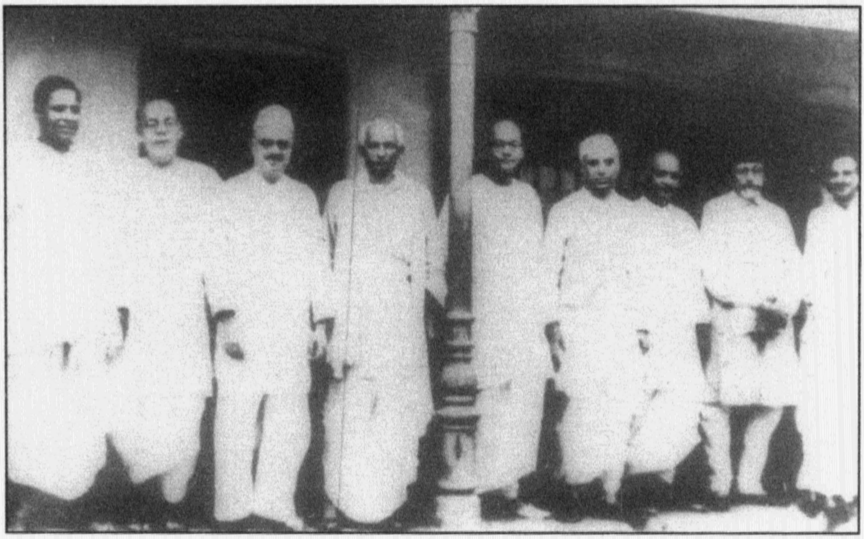

शरत बोस कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, हरे कृष्ण महताब, जयराम दास दौलतराम, पट्टाभि सीतारमैय्या, सुभाष चन्द्र बोस (अध्यक्ष), जवाहर लाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जे. बी. कृपलानी (बाएं से दायें) के साथ (1938)

कलकत्ता में रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा ''महाजाति सदन'' की आधारशिला रखे जाने के समारोह के अवसर पर। शरत बोस, रवीन्द्र नाथ टैगोर और सुभाष चन्द्र बोस के बीच भूमि पर बैठे हैं (1939)

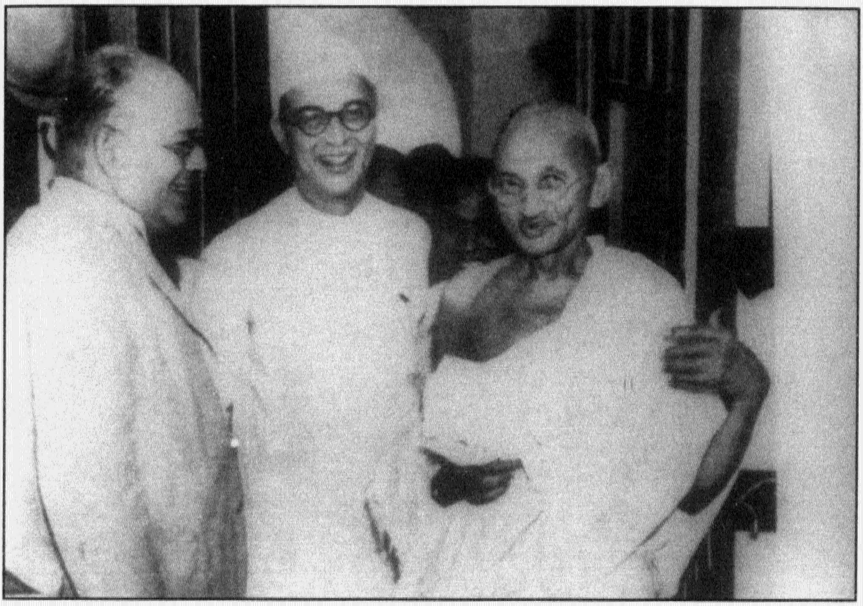

कलकत्ता में अपने निवास स्थान पर महात्मा गांधी और महादेव देसाई के साथ (1939)

राजशाही (अब बांग्लादेश में) में एक समारोह में अभिनंदन (1939)

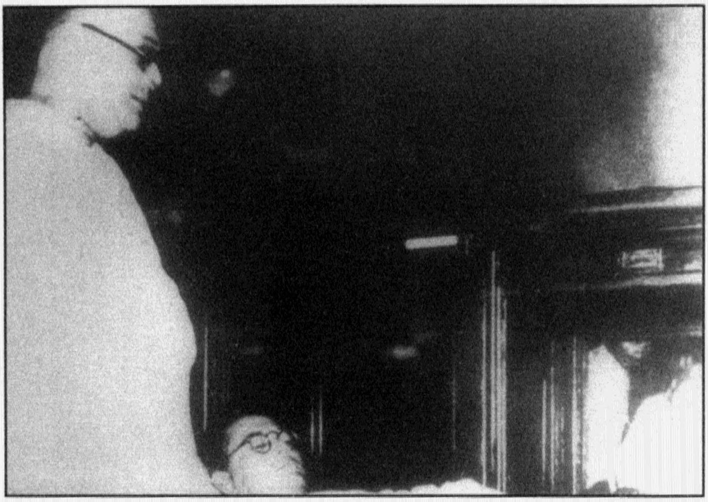

पट्टाभि सीतारमैय्या को पराजित करके सुभाष के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपने बीमार भाई सुभाष के साथ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए त्रिपुरी जाते हुए (1939)

Hindusthan Standard

SARAT BOSE TAKEN INTO CUSTODY

ARREST UNDER DEFENCE OF INDIA RULES

India Government Gives Out Queer Reasons

'SATISFIED' REGARDING HIS 'CONTACT' WITH JAPANESE

HEAVY NAVAL LOSSES IN THE FAR EAST

दिसम्बर, 1941 में शरत चन्द्र बोस की गिरफ्तारी दर्शाने वाली समाचारपत्र कतरन

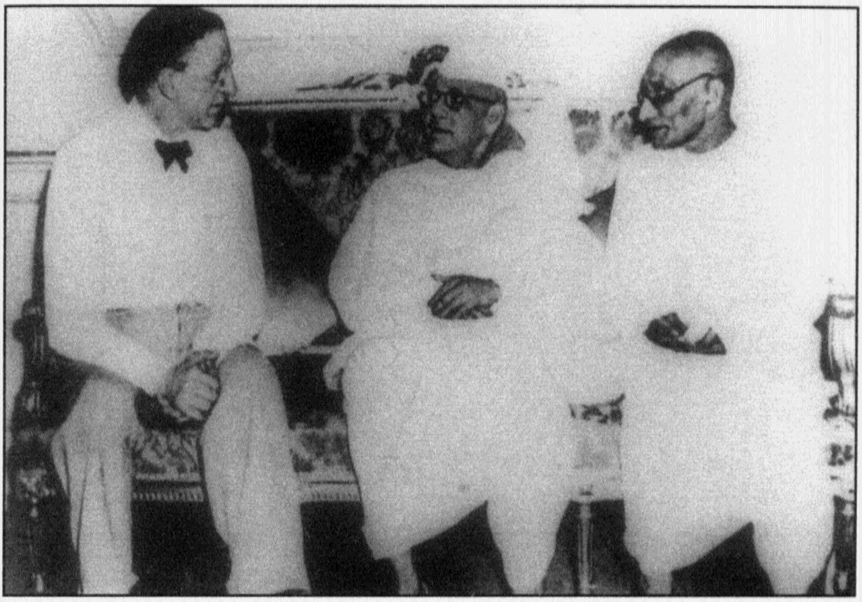

1945 में रिहाई के बाद कलकत्ता में जन-अभिनंदन

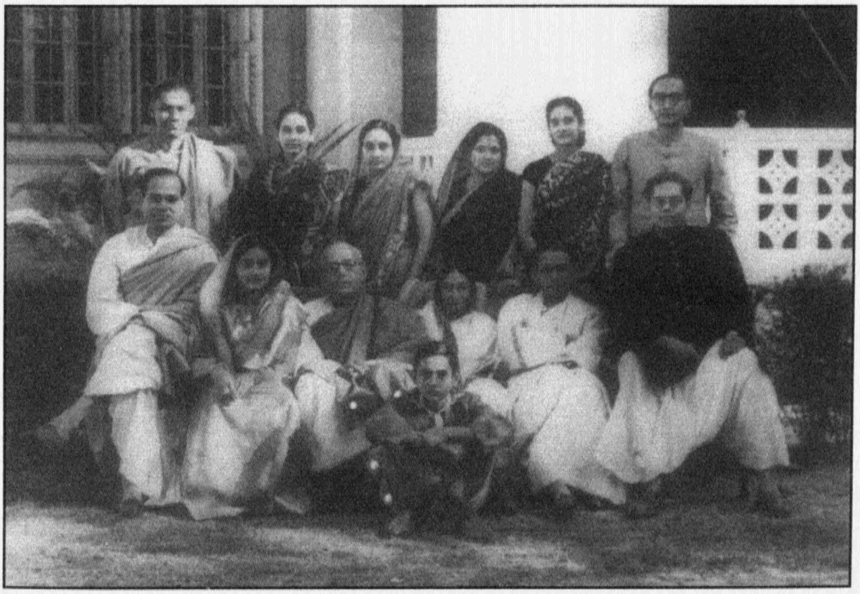

पत्नी विभावती, पुत्रों, पुत्रियों, पुत्रवधुओं और दामादों के साथ (1945)

कलकत्ता में एक जनसभा में सरदार पटेल और पंडित नेहरू के साथ मंच की ओर जाते हुए (1945)

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक से पहले कोलकाता में पंडित नेहरू के साथ एक जनसभा में (1945)

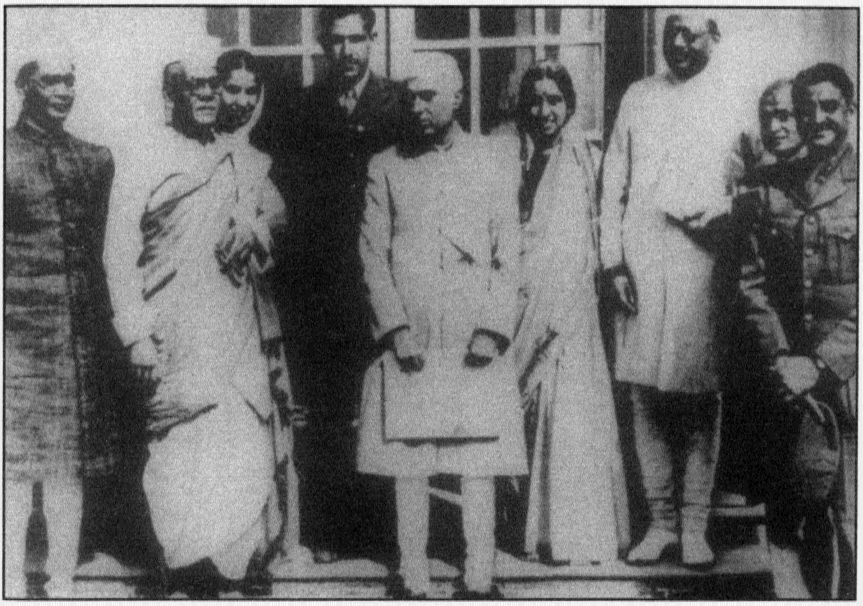

आजाद हिन्द फौज राहत समिति की एक बैठक में आजाद हिन्द फौज के जनरल शाह नवाज खान और कर्नल पी. के. सहगल तथा जवाहरलाल नेहरू के साथ (1946)

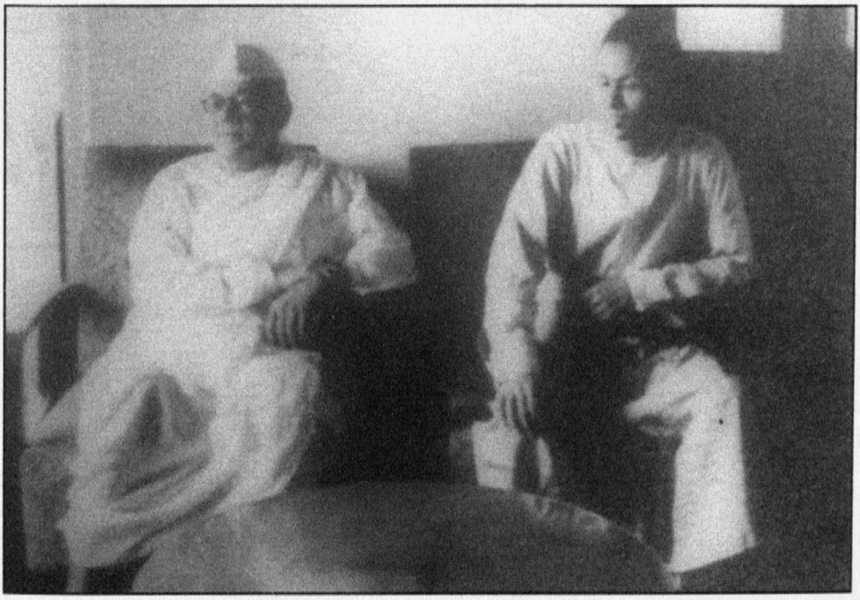

यांगून (रंगून) में क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्र बर्मा के पहले प्रधानमंत्री, यू आंग सान के साथ (1946)

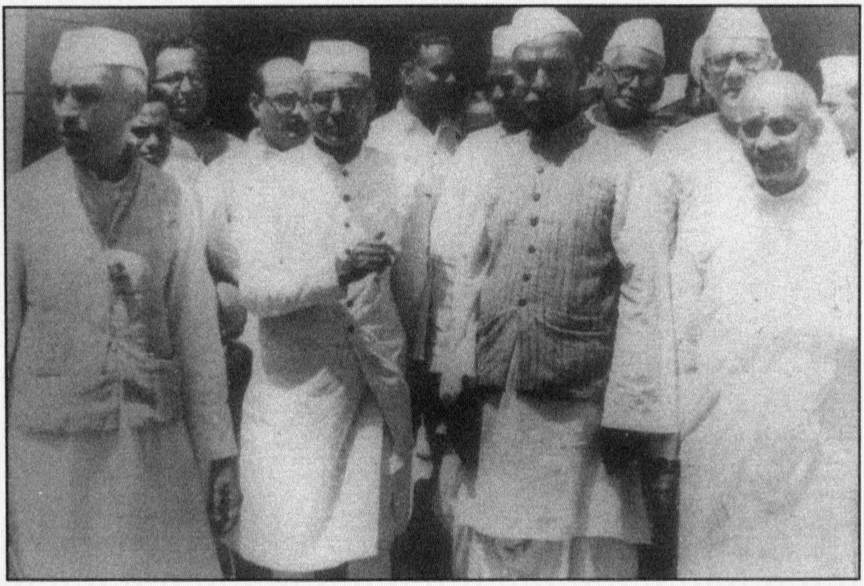

अन्तरिम सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद (बाएं से दाएं - जवाहरलाल नेहरू, सैयद अली जहीर, राजेन्द्र प्रसाद, शरत बोस, वल्लभभाई पटेल) (1946)

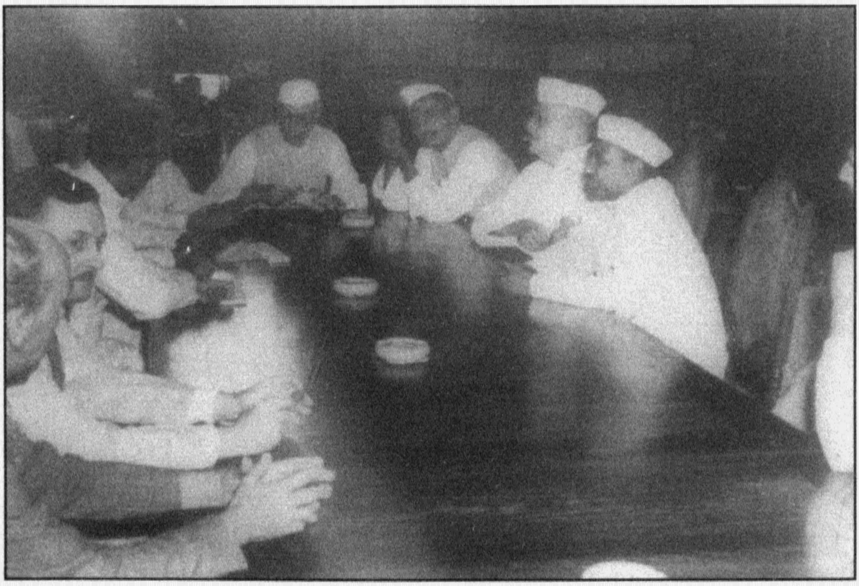

अन्तरिम सरकार की पहली कैबिनेट बैठक (1946)

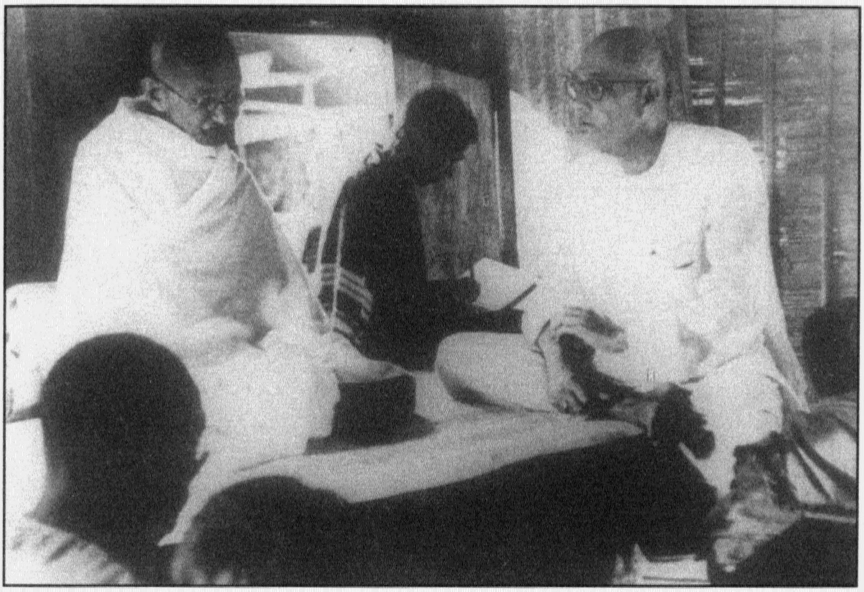

बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद नोआखाली में शांति मिशन पर महात्मा गांधी के साथ (1946)

सोदपुर आश्रम (पश्चिम बंगाल) में महात्मा गांधी के साथ। सत्यरंजन बक्शी, डा. सुशीला नायर और प्रो. निर्मल कुमार बोस भी चित्र में हैं (1947)

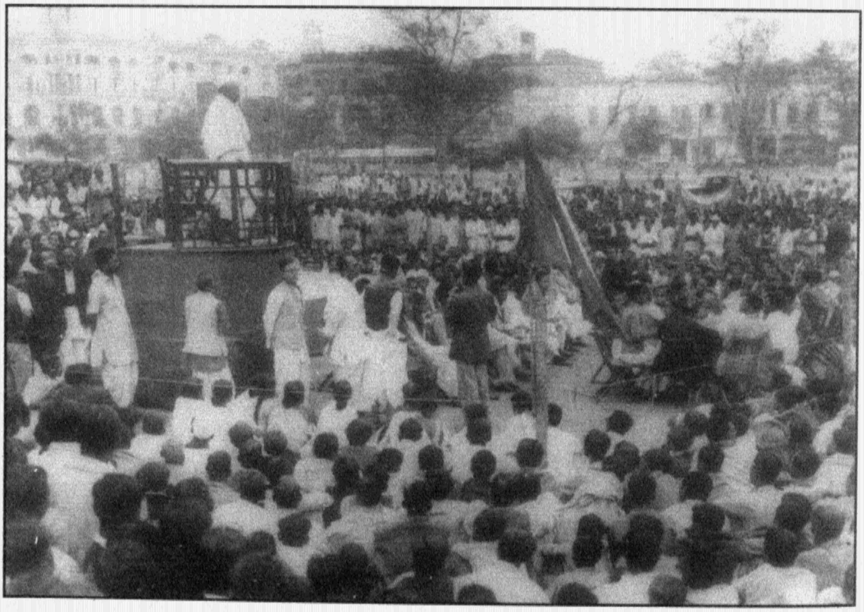

अन्तिम जनसभा (1949)